

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-617/14

संस्थित दिनांक- 28.10.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र पिपरई
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

मलखान सिंह पुत्र गजराज सिंह अहिरवार
उम्र 25 साल, निवासी ग्राम देसाईखेडा,
जिला-अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 13.10.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323 चार शीर्ष, 336, 506 भाग—2 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 05.10.2014 को रात्रि करीब 09:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम देसाईखेडा में आहत खिलन सिंह को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रामलाल व आहत रमकोबाई, खिलन व वीरन की खपरें से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर फरियादी रामलाल व आहत रमकोबाई, खिलन व वीरन पर उपेक्षा व उतावलेपन से खपरें फेंककर मानव जीवन संकटापन्न किया व उनको जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.10.2014 की रात करीबन 9 बजे फरियादी रामलाल अपने घर पर था, तभी पास में रहने वाला मलखान सिंह रामलाल के लडके खिलन सिंह को मां बहन की बुरी बुरी गालिया दे रहा था, रामलाल ने गालियां देने से मना किया, मलखान से खपरा की मारी जो रामलाल बाये हाथ के पंजा में लगी चोट होकर निशान बन गया, चिल्लाचोट सुनकर रामलाल की पत्नी रमकोबाई बचाने आई तो मलखान ने उसके साथ भी मारपीट कर दी, जिससे बाये हाथ के ढडा में लगी चोट होकर खून निकलने लगा, एक खपरा ओर मारा जो कमर लगा मुंदी चोट आई तब रामलाल की पत्नी को बचाने लडका खिलन व वीरन आये तो मलखान ने उनके साथ भी खपरा फेंक कर लापरवाही पूर्वक मारे जिससे खिलन को मलखान सिंह पुत्र गजराज सिंह अहिरवार भी चोटें आई। मलखान ने जाते हुये कहा रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। मोके पर पिस्ताबाई और दीपक थे जिन्होंने घटना देखी उसने

दिनांक 06.10.2014 फरियादी रामलाल द्वारा पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक-287/14 अंतर्गत धारा-294, 323 चार मलखान सिंह पुत्र गजराज सिंह अहिरवारशीर्ष, 336, 506 भाग-2 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03-प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-30.08.2017 को फरियादी रामलाल सहित घटना में आहत वीरन, खिलन व रमको बाई द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा 294, 323 चार शीर्ष, 506 भाग-2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 336 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

04-अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0स0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.10.2014 को रात्रि करीब 09:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम देसाईखेडा में फरियादी रामलाल व आहत रमकोबाई, खिलन व वीरन पर उपेक्षा व उतावलेपन से खपरें फेंककर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06- प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये, अभियोजन की ओर से फरियादी रामलाल (अ0सा0-1) सहित घटना में आहत वीरन (अ0सा0-2), खिलन (अ0सा0-3) व रमको बाई (अ0सा0-4) के कथन

न्यायालय में कराये गये। फरियादी रामलाल (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि 3-4 साल पहले दिपावली के आस-पास घर के बाहर उसके लडके खिलन (अ0सा0-3) व अभियुक्त के मध्य रात्रि 10:00 बजे वातावरण हो गया था। अभियुक्त उसके लडके खिलन (अ0सा0-3) को गालियां दे रहा था, तो उस समय वह घर पर सो रहा था और आवाज सुनकर जब वह घर से बाहर निकला तो अभियुक्त वहा से भाग गया। जिसके बाद घटना की रिपोर्ट उसने दूसरे दिन जाकर पुलिस थाना चंदेरी में जाकर की थी।

07- फरियादी रामलाल (अ0सा0-1) के अनुसार घटना में केवल अभियुक्त ने उसके लडके खिलन (अ0सा0-3) के साथ गाली-गलौच की थी जिसकी रिपोर्ट उसने थाने पर की थी। फरियादी के उपरोक्त कथनों का समर्थन स्वयं खिलन (अ0सा0-3) ने अपने कथनों में करते हुये मात्र अभियुक्त के द्वारा उसके साथ गाली-गलौच किया जाना बताया है। इन दोनों ही साक्षियों ने अपने मुख्यपरीक्षण में इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को गाली-गलौच की घटना के बाद खपरे फेंके थे, जिससे उन्हें चोट आई। अभियोजन की ओर से घटना के अन्य साक्षी वीरन (अ0सा0-2), रमको बाई (अ0सा0-4) के कथन भी न्यायालय में कराये गये, जिनमें से वीरन (अ0सा0-2) का यह कहना है कि घटना के उसके सामने नहीं हुई और न ही उसे घटना के बारे में कोई जानकारी है। रमकोबाई (अ0सा0-4) जो कि फरियादी की पत्नी है अपने न्यायालीन कथनों में घटना के समय घर पर सोना बताती है तथा अपने सामने झगडा न होना बताती है।

08- अतः रामलाल (अ0सा0-1) सहित वीरन (अ0सा0-2), खिलन सिंह (अ0सा0-3) व रमको बाई (अ0सा0-4) का अपने मुख्यपरीक्षण में अभियुक्त के विरुद्ध कहीं भी यह कहना नहीं है कि घटना में अभियुक्त ने खपरे फेंके थे, जिससे उन्हें चोट आई थी। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन साक्षियों को पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया है, परन्तु आरोपित अपराध के संबंध में किसी भी साक्षी ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया तथा फरियादी के सहित सभी साक्षी इस घटना से इनकार करते हैं कि अभियुक्त ने घटना में खपरे फेंक मारे थे जिससे उन्हें चोटें आई थी। स्वयं फरियादी रामलाल (अ0सा0-1) इस संबंध में पुलिस को प्रदर्श-पी-1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्श-पी-3 के कथन देने से इन्कार करता है तथा अन्य साक्षी भी इस संबंध में पुलिस को कोई कथन न देना बताते हैं। अतः अभिलेख पर अभियुक्त के विरुद्ध इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को खपरे फेंके थे, जिससे फरियादी सहित अन्य लोगों को चोटें आई थी।

- 09— यह उल्लेखनीय है कि उपहति कारित करने का आशय रखते हुये खपरे फेंकने का कृत्य भी भा0द0वि0 की धारा 336 के तहत उपेक्षा व उतावलेपन के कृत्य की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि भा0दं0वि0 धारा 336 में उपहति कारित करने के आशय का अभाव रहता है। अतः यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि अभियुक्त ने उपहति कारित करने के आशय से फरियादी व अन्य पर खपरें फेंके तो उक्त कृत्य भा0द0वि0 की धारा 336 की श्रेणी में नहीं आता है।
- 10— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह पूरी तरह से साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 05.10.2014 को रात्रि करीब 09:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम देसाईखेडा में फरियादी रामलाल व आहत रमकोबाई, खिलन व वीरन पर उपेक्षा व उतावलेपन से खपरें फेंककर मानव जीवन संकटापन्न किया।
- 11—फलतः अभियुक्त मलखान सिंह पुत्र गजराज सिंह अहिरवार के विरुद्ध को कारित हुयी उपहति के संबंध में भादवि की धारा 336 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 336 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 12—अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

